भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 928

दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

.....

भूजल स्तर में गिरावट के संबंध में आकलन

928. श्रीमती माला राज् यलक्ष् मी शाहः
श्री महेश कश्यपः
श्री अनन्त नायकः
श्री दामोदर अग्रवालः
कैप्टन बृजेश चौटाः
श्री चंदन चौहानः
श्री तेजस् वी सूर्याः
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः
श्री यदुवीर वाडियारः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्री विजय कुमार दूबेः
श्री बलभद्र माझीः
डॉ. मन्ना लाल रावतः
श्री भोजराज नागः
श्री पी. सी. मोहनः
श्री विजय बघेलः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री जुगल किशोरः
श्री अभिमन्यु सेठीः
डॉ. के. सुधाकरः
श्री खगेन मुर्मुः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल के आकलनों से देश के विशेषकर नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित ओडिशा, दक्षिण कन्नड़ और चिक्काबल्लापुर जिलों सहित कर्नाटक और बेंगलुरु के आसपास, जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में संकटग्रस्त अति-दोहित ब्लॉकों में भूजल स्तर में और गिरावट का संकेत मिला है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सहित प्रतिभागी राज्यों में अटल भूजल योजना (एबीवाई) की प्रगति कैसी रही है;

(ग) राजस्थान में, विशेषकर पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के लिए कितनी आपूर्ति से जुड़ी संरचनाओं का निर्माण/नवीनीकरण किया गया है;

(घ) क्या देश में, विशेषकर नवरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित ओडिशा और बेंगलुरु सहित कर्नाटक में भूमिगत जलभंडार मानचित्रण, भूजल निगरानी और मूल्यांकन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और रिमोट सेंसिंग सहित डेटा-संचालित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राजस्थान, बेंगलुरु क्षेत्र और नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में अति-दोहित भूमिगत जलभंडार के पुनर्भरण और भूजल की निरंतरता के लिए क्या सुधारात्मक और उपचारात्मक उपाय योजनाबद्ध हैं;

(च) क्या सरकार ने भूजल की कमी, भूमिगत जलभंडारों पर संकट, पेयजल निरंतरता और ओडिशा के तटीय जिलों, विशेष रूप से भद्रक और बालासोर जिलों और नबरंगपुर लोक

सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित या कार्यान्वित लक्षित कार्रवाइयों का कोई हस्तक्षेप और जिला-विशिष्ट मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो अब तक देखे गए परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) मंदिरों जैसे धार्मिक संस्थानों से जुड़े तालाबों आदि जैसे जल संरक्षण संरचनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों के समन्वय से प्रतिवर्ष देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन किया जा रहा है। वर्ष 2017 और वर्ष 2025 के आंकड़ों की तुलना से यह ज्ञात होता है कि देश की समग्र भूजल स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है। 'सुरक्षित' आकलन इकाइयों (एयू, जो आम तौर पर ब्लॉक/तालुका/तहसील, या पहाड़ी क्षेत्रों में घाटियां हैं) का प्रतिशत 62.6% से बढ़कर 73.14% हो गया है और 'अति-दोहित' इकाइयों का प्रतिशत 17.2% से घटकर 10.8% हो गया है। इसके अतिरिक्त, ओडिशा के नवरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (नवरंगपुर, कोरापुट और मल्कानगिरी जिलों), कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की सभी आकलन इकाइयों का वर्गीकरण उक्त दोनों आकलन वर्षों में 'सुरक्षित' श्रेणी में किया गया है। हालांकि, कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले की सभी आकलन इकाइयों का वर्गीकरण उक्त दोनों वर्षों के दौरान 'अति-दोहित' श्रेणी में किया गया था।

(ख): अटल भूजल योजना 7 राज्यों अर्थात हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की जल की कमी वाले 8,203 ग्राम पंचायतों में भूजल के सामुदायिक नेतृत्व वाले सहभागी प्रबंधन के लिए एक अद्वितीय पायलट योजना थी। इसके कार्यान्वयन के दौरान, सभी भागीदार ग्राम पंचायतों के लिए सामुदायिक नेतृत्व वाली जल बजटिंग और जल सुरक्षा योजनाओं (डब्ल्यूएसपी) की तैयारी और इसे वार्षिक आधार पर अद्यतनीकरण किया गया है । इसके अतिरिक्त इस योजना के कार्यान्वयन क्षेत्र में लगभग 83,000 कृत्रिम पुनर्भरण और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया और 9 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को कुशल सिंचाई प्रथाओं के तहत शामिल किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 229 में से 180 ब्लॉकों के भूजल स्तर में सुधार हुआ है। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन नहीं किया गया था।

(ग): देश के जल/भूजल संसाधनों के संवर्धन के लिए केंद्र सरकार के प्रयास मुख्य रूप से जल शक्ति अभियान (जेएसए) के प्रमुख अभियान के माध्यम से किए जाते हैं। जेएसए एक समयबद्ध और मिशन मोड कार्यक्रम है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 से प्रतिवर्ष इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल किया है। जेएसए डैशबोर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 से राजस्थान में लगभग 6.66 लाख संरचनाओं का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है, जिनमें से पाली जिले में लगभग 12,600 कार्य शामिल हैं।

जल शक्ति अभियान की गति में तेजी लाने तथा देश में वर्षा जल संचयन को एक जन आंदोलन बनाने के दृष्टिकोण के साथ 'जल संचय जन भागीदारी' (जेएसजेबी) अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत, अभिसरण के माध्यम से अब तक राजस्थान में 4.16 लाख से अधिक और पाली जिले के लिए 3,800 से अधिक संरचनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।

(घ): प्रौद्योगिकी कार्यनीति के तहत, सरकार द्वारा पूरे देश के जल क्षेत्र में सम्पूर्ण मैपिंग, मॉनिटरिंग और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अत्याधुनिक डिजिटल और तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। इसमे नवरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और बेंगलुरु सहित सम्पूर्ण कर्नाटक शामिल है।

इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं: सीजीडब्ल्यूबी के नैक्यूम कार्यक्रम के तहत जलभृत मैपिंग के लिए हाई-एंड रिमोट सेंसिंग (आरएस) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का उपयोग, उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले हेली-बोर्न सर्वेक्षण, रीयल-टाइम भूजल डेटा सृजन और साझाकरण के लिए टेलीमेट्री के साथ डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर (डीडब्ल्यूएलआर) के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का निर्माण, भूजल संसाधन आकलन के लिए वेब-आधारित इनग्रेस प्लेटफॉर्म का निर्माण, और विस्तृत जलभृत मैपिंग और पुनर्भरण क्षेत्रों की पहचान आदि के लिए शीर्ष तकनीकी एजेंसियों यथा (बीआईएसएजी-एन) और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अहमदाबाद के साथ सहयोग।

(ङ) और (च): जलभृत मैपिंग, भूजल मॉनिटरिंग, आकलन और उपयुक्त प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के लिए सरकार के प्रयासों में राजस्थान, बेंगलुरु क्षेत्र, नवरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, और भद्रक व बालासोर जिलों एवं ओडिशा के तटीय जिलों सहित पूरे देश को शामिल किया गया हैं। हालांकि, यह सराहनीय है चूंकि 'जल' राज्य का विषय है, इसलिए जल और भूजल संसाधनों का स्थायी विकास और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों का दायित्व है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन प्रदान किया जाता है। इस दिशा में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:

i. वार्षिक मिशन मोड कार्यक्रम 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन' अभियान के तहत, वर्ष 2021 से देश में अभिसरण (केवल मनरेगा के साथ अभिसरण के माध्यम से) के माध्यम से लगभग 1.23 करोड़ जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण / पुनरुद्धार किया गया है। इस अभियान ने भूजल संसाधनों की स्थायित्वता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त भूजल पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन में वृद्धि के लिए जेएसजेबी जन आंदोलन के तहत, अब तक 40 लाख से अधिक संरचनाओं का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है। इसके अतिरिक्त, जेएसए (जेएसए) के तहत, जिला स्तर पर 712 जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित किए गए हैं और 640 जिला जल संरक्षण योजनाएं तैयार की गई हैं।

ii. भारत सरकार द्वारा 'मिशन अमृत सरोवर' आरंभ किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणाम स्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का निर्माण / पुनरुद्धार किया गया है, जिससे जल भंडारण और भूजल पुनर्भरण में वृद्धि हुई है।

iii. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एवं एफडब्ल्यू) द्वारा वर्ष 2015-16 से पर ड्रोप मोर क्रोप स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। भूजल के संरक्षण हेतु यह स्कीम सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कृषि स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि पर केंद्रित है।

iv. नैक्यूम 1.0' के सफल समापन के पश्चात, जिसके तहत देश के पूरे 25 लाख वर्ग किमी मैपिंग योग्य क्षेत्र के लिए जलभृतों की मैपिंग की गई थी और जिसके परिणामस्वरूप देश के भूजल संसाधनों की वृहद-स्तरीय जानकारी प्राप्त हुई है, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा अब नैक्यूम 2.0 अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान जल की कमी वाले और गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों पर केंद्रित है। नैक्यूम 2.0 के तहत, अत्यधिक विस्तृत, वैज्ञानिक डेटा के सृजन के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है, जो सतत भूजल प्रबंधन के लिए लक्षित निर्णय लेने हेतु एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में कार्य करते हैं।

v. शहरी क्षेत्रों में जल संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार द्वारा अमृत और अमृत 2.0 स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ये स्कीम शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण पहल हैं, ताकि शहरों को 'आत्मनिर्भर' करते हुए और 'जल सुरक्षा' प्रदान किया जा सकें। शहरी जल निकायों का पुनरुद्धार इस योजना के तहत एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू है।

vi. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के उथले जलभृत प्रबंधन कार्यक्रम के तहत, देश के विभिन्न हिस्सों के 6 शहरों में 35 से अधिक पायलट पुनर्भरण संरचनाओं की शुरुआत करते हुए भूजल की कमी और जल जमाव को दूर करने के लिए प्राथमिकता वाले शहरों का चयन किया गया है।

vii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा 'भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान- 2020' भी तैयार किया गया है, जो देश में वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। उपयुक्त क्षेत्रीय उपायों के कार्यान्वयन के लिए उक्त मास्टर प्लान को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के साथ साझा किया गया है।

(छ): तालाबों, टैंकों, बावड़ियों आदि जैसी जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण और पुनरुद्धार जल भंडारण और उपलब्धता बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार की रणनीति के प्रमुख स्तंभों में से एक है। जल शक्ति अभियान, जल संचय जन भागीदारी, मिशन अमृत सरोवर और मनरेगा के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) घटक जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, पूरे गांव/क्षेत्रों के इष्टतम लाभ हेतु सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से धार्मिक संस्थानों से जुड़े जल निकायों सहित पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

*****